राजस्व वाद संख्याः– 138/2017
श्रवण कुमार बनाम किशनी वगै0
निर्णय दिनांकः– 09.10.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 138/2017

श्रवण कुमार आयु 33 वर्ष पुत्र हरदेवाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0

– वादी

बनाम

1. मु0 किशनी आयु 65 वर्ष पत्नि हरदेवाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
2. रामावतार आयु 42 वर्ष पुत्र हरदेवाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
3. हजारीलाल आयु 40 वर्ष पुत्र हरदेवाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
4. बृजमोहन आयु 38 वर्ष पुत्र हरदेवाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
5. मु0 भागोती आयु 45 वर्ष पुत्री हरदेवाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
6. विनोद आयु 28 वर्ष पुत्र लीलाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
7. नन्दराम आयु 22 वर्ष पुत्र लीलाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
8. मु0 रामप्यारी आयु 55 वर्ष पत्नी लीलाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
9. मु0 माया आयु 30 वर्ष पुत्री लीलाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
10. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजियन कार्यालय सूरजगढ़, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
11. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।
12. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बलवीर सिंह आयु 37 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः— 138/2017
श्रवण कुमार बनाम किशनी वगै0
निर्णय दिनांकः— 09.10.2023

दावा बाबत घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक —09.10.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि—

(क) यह कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस अमर की पारित की जावे कि वादग्रस्त भूमि ख0न0 134 की 0.73 है0, ख0न0 237 की 0.62 है0, , ख0न0 238 की 0.66 है0, , ख0न0 239 की 0.60 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.61 है0 मौजा सूरजगढ़ में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 का हक व हिस्सा 1/2 की 1.31 है0 व प्रतिवादीगण संख्या 06 लगायत 09 की हक व हिस्सा 1/2 की 1.30 है0 नजरी नक्शा सूची—के0 के अनुसार घोषित की जावे व इसी अनुसार खाता विभाजन किये जाने की डिकी भी पारित की जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 09 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हक व हिस्सा की भूमि को कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदालख्त ना तो स्वयं करे नाही अपने एजेंटो से करवायैं

(ग) यह कि खर्चा हर्जा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) यह कि अन्य कोई सिद्दि जो बहक वादी हो चाही जाने से रह गई हो वह भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत दिलवायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट आयु 37 वर्ष निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया तथा इनकी और से श्री हवासिंह चौहान एड0 ने बहस में बताया कि विवादित आराजी में से प्रार्थी ने 400 वर्ग गज का आवासीय भूखण्ड जरीये विक्रय पत्र क्रय की है इसलिए उसके हितो को ध्यान में रखते हुए उसको पक्षकार बनाया जाना जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी में से अप्रार्थी ने 400 वर्ग गज का आवासीय भूखण्ड जरीये विक्रय पत्र क्रय की है इसलिए उसको पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत रूलिंग इस मामले पर चस्पा नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट आयु 37 वर्ष निवासी वार्ड न0 20 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 को उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 12 के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश फरमाये गये। प्रतिवादीगण संख्या 7 व 12 ने दिनांक 16.09.2020 को जवाब पेश किया तथा इनकी और से श्री धर्मपाल एड0 ने दिनांक 28.10.2021 को राजीनामा पेश किया गया जिस पर वादी वकील ने आपत्ति जाहीर की एवं पत्रावली पर हस्ताक्षर किये । आपत्ति स्वीकार कर नायब तहसीलदार कार्यालय

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः– 138/2017
श्रवण कुमार बनाम किशनी वगै0
निर्णय दिनांकः– 09.10.2023

हाजा से पुनः विभाजन प्रस्ताव पर मौका जॉच रिपोर्ट मगवायी गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 एवं 8 लगायत 11 को आवाज लगवायी गई इनकी और से ना तो कोई वकील उपस्थित हुआ ना ही ये स्वयं हाजीर आये अतः इनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी वकील एवं प्रतिवादीगण के वकीलों ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव संख्या 4321 दिनांक 13.12.2011 एवं 167 दिनांक 22.01.2021 तथा विभाजन प्रस्ताव कमांक 167 दिनांक 22.01.2021 पर नायब तहसीलदार कार्यालय हाजा की दिनांक 04.12.2021 की मौका जॉच रिपोर्ट ।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी वकील एवं प्रतिवादीगण के वकीलों ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा नम्बर 134 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.66, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.60 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.61 है0 स्थित राजस्व ग्राम सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान की भूमि में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/2021/167 दिनांक 22.01.2021 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 09.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः— 138 / 2017
श्रवण कुमार बनाम किशनी वगै0
निर्णय दिनांकः— 09.10.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 138 / 2017

निर्णय दिनांक :— **09-10-2023**

श्रवण कुमार **बनाम** किशनी वगै0

दावा बाबत घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री अजय कुमारएड0** तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 व 12 की और से **श्री धर्मपाल एड0**, की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **09.10.2023** को **दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा नम्बर 134 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.66, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.60 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.61 है0 स्थित राजस्व ग्राम सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान की भूमि में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0 / 2021 / 167 दिनांक 22.01.2021 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **09.10.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
(दयानंद रूयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़